कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर

क्रमांक : 03 दिनांक : 23.08.2024

खुली निविदा सूचना

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक एफ 16( )/रालसा/जेएस/एलएडीसीएस/2024/8818 दिनांक 29.07.2024 के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय पर स्थापित लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अन्तर्गत स्वीकृत पूर्णतया अस्थायी निम्न पदों पर अधिकतम दर सीमा (समस्त करों सहित) के साथ मानव संसाधनों की भर्ती हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 की अवधि के लिए अथवा रालसा द्वारा जारी अग्रिम आदेशों की पालना में ऑफिस असिस्टेन्ट एवं डेटा एन्ट्री ऑपरेटर हेतु कम्प्यूटर मशीन विद मैन एवं ऑफिस पिओन हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की संविदा सेवायें लिए जाने हेतु खुली निविदा आमंत्रित की जाती है–

अस्थायी पद का विवरण	अस्थायी पदों की संख्या	अधिकतम देय राशि(समस्त करों सहित)
ऑफिस असिस्टेन्ट	03	14000/–प्रति व्यक्ति प्रतिमाह
रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर	01	14000/–प्रति व्यक्ति प्रतिमाह
ऑफिस पिओन	03	11000/–प्रति व्यक्ति प्रतिमाह

इसके लिए इच्छुक फर्म/कम्पनी/साझेदारी फर्म/व्यक्ति आवेदन कर सकते है, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

निविदा जारी करने की दिनांक	23.08.2024
निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक व समय	03.09.2024, सायं 4.30 बजे
तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक व समय	04.09.2024, प्रातः 10.00 बजे
वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक व समय	05.09.2024, प्रातः 10.00 बजे
अनुमानित निविदा राशि	623000/–
धरोहर राशि (2%)	12460/–

नियम एवं शर्तें–

1. निविदा फॉर्म कार्यालय से/ जिला न्यायालय, स.मा. की वेबसाईट districts.ecourt.gov.in/sawaimadhopur /http://sppp.raj.nic.in से भी प्राप्त किया जा सकता है।
2. उक्त कार्य के लिए निविदा एवं अनुबन्ध हेतु शर्तें एवं विनियमन पृथक से संलग्न है।

अध्यक्ष
उपापन समिति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सवाई माधोपुर

क्रमांक : 1034 – 1044 दिनांक : .08.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान
3. तालुका विधिक सेवा समिति, गंगापुर सिटी/बौंली/बामनवास/खण्डार
4. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय/जिला कलेक्ट्रेट/जिला न्यायालय
5. लेखा अनुभाग, कार्यालय हाजा को http://sppp.raj.nic.in पोर्टल पर अपलोड करने हेतु
6. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, स.मा. को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
7. आदेश/संबधित पत्रावली

अध्यक्ष
उपापन समिति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सवाई माधोपुर

कार्यालय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सवाई माधोपुर
मशीन विद मैन निविदा आवेदन फार्म

आवेदन प्रपत्र शुल्क दो सौ रूपये मात्र(अप्रतिदाय)

01. निविदा प्रेषितः– सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

02. निविदा विषयः– कम्प्यूटर मशीन विद मैन एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

03 .निविदा दाता का नाम एवॅ डाक का पता..

....

....

04. दूरभाष नम्बर – कार्यालय / दुकान / फेक्ट्री ....

05. सन्दर्भ :–खुली निविदा सूचना दिनांक 23.08.2024

06 .निविदा प्रपत्र क्रय की अन्तिम तिथि 03.09.2024 को दोपहर 01.00 बजे तक

07. निविदा प्रपत्र जमा की अन्तिम तिथि 03.09.2024 को सायं 4.30 बजे तक

08. तकनीकि निविदा प्रपत्र खोलने की अन्तिम तिथि 04.09.2024 को प्रातः 10.00 बजे तक

09. वित्तिय निविदा प्रपत्र खोलने की अन्तिम तिथि 05.09.2024 को प्रातः 10.00 बजे तक

10. बोलीदाता / संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावें

क्र. सं.	विवरण	रजि. सं	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक कमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक अधिनियम 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4	वस्तु एवं सेवाकर				
5	आय कर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

_11. संवेदक के माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिए निविदा में दरे निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जावें

क्रं. सं.	सेवा का नाम	श्रमिको को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्युनतम मजदुरी की दर से कम नही होगी				ईपीएफ दर प्रतिशत	ईएसआई दर प्रतिशत	सामग्री राशि/उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
		श्रमिक की श्रेणी	न्युनतम मजदुरी दर प्रति माह	श्रमिको की संख्या	राशि					
1	ऑफिस असिस्टेन्ट	उच्च कुशल	9334/- प्रतिमाह एंव 359/- प्रति दिन	3	28002	13	3.25			
2	रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर			1	9334	13	3.25			
3	ऑफिस पिओन	अकुशल	7410/- प्रतिमाह एवं 285/- प्रतिदिन	3	22230	13	3.25			

12. संवेदक द्वारा लगाये गये कर्मचारियों की फोटो एवं बायोडेटा विवरण नाम पते पहचान आदि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उपलब्ध कराकर ही कार्य प्रारम्भ करे।
13. निविदा की अवधि कार्यादेश जारी करने की दिंनाक से 31.03.2025 तक रहेगी। कार्य सन्तुष्टी पूर्ण होने पर एंव आगामी आदेश प्राप्त होने पर निविदा की अवधि को छ माह की अवधि के लिए बढाया जा सकता है।
14. निविदा का समस्त विवरण एवं संलग्न शर्तो को हमारे द्वारा ध्यानपूर्वक पढकर समझ लिया गया हैं तथा हमें पूर्णतया मंजूर हैं । जिसे हस्ताक्षर सहित इस निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत हैं।
15. संवेदक द्वारा यदि सर्विस चार्ज कि राशि शून्य भरी जाती है तो उस निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

संलग्न :– 1. आवेदन फार्म वित्तीय एवं तकनीकी
2. कार्य के नियम व शर्ते

आवेदक के हस्ताक्षर

पूर्ण नाम...

पूर्ण पता मय दूरभाष न............................

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर

निविदा प्रपत्र का मूल्य – 200/–रू
अनुमानित ठेका राशि :– 623000/– रूपये
धरोहर राशि (2%) :–12460/– रूपये
प्रतिभुति राशि (5%) :– 31150/– रूपये

मैन पॉवर का कार्य करवाने हेतु निविदा एवं अनुबंध की शर्ते एवं विनियमन (वर्ष 2024–25)

General terms & conditions of Bid & Contract:-

Important Instruction:- The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012" [hereinfafter called the Rules] under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal http://sppp.raj.nic.in. Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and the Rules and this bidding document, the provision of the Act and Rules will prevail.

निविदादाता को निविदा में अपनी दरें अंकित करते समय इन शर्तो को बहुत सावधानी पूर्व पढ़ना चाहिए। यदि किसी शर्त के बारे में कोई संदेह हो तो अपनी निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व सचिव **जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर** (सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष) से लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिऐ।

1. निविदादाता, निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बन्द कर पूर्ण रूप से भरी गई निविदा के साथ निर्धारित राशि डी.डी/बैंकर चैक एवं आवश्यक प्रपत्र संलग्न कर उसे **सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर (सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष)** के पते पर कार्यालय में जमा करा सकेंगे। निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा एवं वह स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
2. निविदादाता द्वारा निविदा दो रूपों में यथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा पृथक–पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफो पर क्रमशः तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अंकित करे तथा दोनों बन्द लिफाफो को एक बडे लिफाफे में सीलबन्द कर जमा कराने होंगे। तकनीकी रूप से सफल निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
3. तकनीकी प्रस्ताव वाले लिफाफे में भरा हुआ निविदा प्रपत्र एवं समस्त दस्तावेज जो मांगे जा रहे है, जो रखे जायेगें। निविदादाता को वित्तीय प्रस्ताव अलग लिफाफे में प्रस्तुत करने होगे।
4. प्राप्त निविदाओं को उपस्थित निविदादाता अथवा उसके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जावेगा। निर्धारित समय में कोई निविदादाता अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने पर विभाग की गठित समिति द्वारा बिना उनका इन्तजार किए निर्धारित समय पर निविदाओं को खोला जायेगा। यदि उक्त दिनांक को राजकीय अवकाश रहता है तो आगामी कार्य दिवस को निविदा खोली जायेगीं।
5. सर्वप्रथम भरी हुई तकनीकी बीड खोली जायेगी।
6. तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त बीडर की ही वित्तीय बीड पर विचार किया जायेगा। सिर्फ तकनीकी बीड मेंसफल निविदादाता ही आगे कार्यवाही में भाग लेने के योग्य होगे।
7. निविदा प्रपत्र स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा। पेन्सील से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त निबन्धों एवं शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में हस्ताक्षर करेगा।
8. निविदादाता के पास स्वयं के नाम अथवा फर्म के नाम का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।
9. दरों की इकाईयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए और दरे अंको के साथ साथ शब्दों में भी अवश्य लिखी जानी चाहिए।

10. निविदा संबंधित व्यवसाय हेतु पंजीकृत एकल स्वामित्व, फर्म, कम्पनी, द्वारा ही दी जानी चाहिये, इस तथ्य का प्रामाणिक अभिलेख निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। निविदाकार के पास स्वयं के नाम का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है। संस्था का बैंक में खाता होना आवश्यक है।

11. तकनीकी निविदा के साथ निम्न दस्तावेज प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत किये जाने चाहियें:–

I निविदाता के सम्पूर्ण जानकारी प्रपत्र (Detail of bider)

II पैन कार्ड / सर्विस टेक्स / जीएसटी प्रमाण–पत्र

III निविदादाता / फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र

IV प्रतिभूति राशि का विवरण

V Technical undertaking

VI Annexaure-A (Declaration by bidder regarding qualifications)

VII Annexaure-B (Statement of Past supplies & performance)

VIII Annexaure-C (Affidavit regarding acceptance of Bid terms & conditions)

IX Financial undertaking

X GST संबंधी दस्तावेज

निविदादाता से अपेक्षा की जाती हैं कि वो सभी वांछित अधिनियमों के अनुसार राज्य सरकार से पंजीकृत होगा जो इस निविदा से संबंधित हैं। इन सभी के पंजीयन संबंधित दस्तावेज तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किये जावें ।

12. निविदा किसी साझेदारी फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रत्येक साझेदार के हस्ताक्षर अथवा फर्म की ओर से किसी एक को साझेदार को अधिकृत किये जाने की स्थिति में पावर आफ अर्टानी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। निविदा स्वीकृति के बाद फर्म के संविधान में कोई परिवर्तन, फर्म के पूर्व के सदस्यों / साझेदारों के इस अनुबंध के उत्तरदायित्वों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं डालेगा। इसी प्रकार जब तक इस अनुबंध में संस्था के स्तर पर गठित कमेटी स्वीकृती ना दे तब तक फर्म मे कोई नया साझेदार सम्मिलित नहीं किया जावेगा। निविदाकार कम्पनी / सोसायटी होने पर अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही निविदा भरी जावेगी। प्राधिकृत प्रतिनिाधि की अधिकृति निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

13. निविदा दाता अपनी निविदा या उसके किसी सारभूत भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और नहीं किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा।दरें कार्यालय आदेश की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। अनुमोदित सप्लाई / कार्य करने वाली फर्म निर्धारित स्पेसिफिकेशन से सप्लाई / कार्य करेगी। तथा उक्त शर्तो का पालन करेगी। तभी कार्यालय द्वारा देय राशि का भुगतान किया जावेगा।

14. बोली प्रतिभूति (Bid Security):-

I. दर संविदा, के मामले में बोली प्रतिभूति बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 5 प्रतिशत होगी।

II. बोली प्रतिभूति नकद, बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गारंटी के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढ़ायी गयी विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहेगी।

III. असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।

15. बोली प्रतिभूति का समपह्नत (Forfeiture of Bid Security):-

1) बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपह्नत कर दी जायेगी, अर्थात् :

क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याह्नत या उपान्तरित करता है;

ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है;

ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है;

घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है;

ङ) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

2) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है, यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

16. बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि (Period fo valideity of bids):-

बोली लगाने वालों के द्वारा प्रस्तुत बोली, की बोली कालावधि सामान्यतया नब्बे दिनों से अधिक नहीं होगी।

17. विभाग के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार/स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पडने पर राज्य/संस्था के हित में कोई भी नयी शर्त जोडीजा सकती हैं पुरानी शर्त हटायी/संशोधित की जा सकती हैं । जो निविदादाता को मान्य होगी ।

18. निविदाकार अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता अंकित करेगा जहां उससे व्यक्तिगत/डाक द्वारा सम्पर्क किया जा सके, यदि कार्यस्थल पर वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है तो उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम जो पूर्ण पता सूचित करेगा, कार्यस्थल पर उपस्थित रहेगा तथा जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

19. यदि निविदाकार कार्य के किसी भाग को निर्धारित समयावधि में सम्पन्न नहीं करता है तो विभाग को यह अधिकार होगा कि वे निविदाकार को कोई सूचना दिये बिना उसकी जोखिम पर आपूर्ति सम्पन्न कराई जावेगी। निविदाकार इसके परिणामस्वरूप विभाग द्वारा किये गये जाने वाले समस्त खर्चे एवं विभाग की हानि की भरपाई के लिए उत्तरदायी होगा।

20. निविदाकार के हर्जे खर्चे एवं जोखिम पर कार्य कराते समय विभागीय प्राधिकारी नियमानुसार निर्णय लेगा।

21. अनुबन्ध की शर्तो के अन्तर्गत निविदाकार से जो भी वसूली बनती है उसकी भरपाई यदि एक माह मे नहीं की जाती है तो ऐसी वसूली निविदाकार द्वारा जमा प्रतिभूति राशि मे से तुरंत कर ली जावेगी। यदि फिर भी इस प्रकार वसूली पूरी तरह सम्भव नहीं हो तो राजस्थान लोकमॉग अधिनियम (वसूली) 1952 के अधीन या तत्समय प्रचलित किसी भी विधि के अधीन कर ली जावेगी।

22. विवाद की स्थिति में **जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर (सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष)** का निर्णय अन्तिम होगा व निविदादाता को मान्य होगा।

23. किसी भी कानूनी कार्यवाही करने से पूर्व यदि जरूरत पडे तो दोनों पक्ष अपने प्रकरण को आरबीट्रेशन के समक्ष रखें। तत्पश्चात् समस्त कानूनी कार्यवाहियां यदि किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की आवश्यकता पडे तो सम्बन्धित न्याय क्षेत्र सवाई माधोपुर ही होगा। अन्य स्थान पर नहीं।

24. कार्य सन्तोषप्रद पर होने पर संविदा का समय संविदाकार एवं विभाग की आपसी सहमति से छः–छः माह तक बढाया जा सकता है।

25. सभी निविदादाताओं/सफल निविदादाता पर सामान्य वित एवं लेखा नियम एवं **RTPP ACT** के प्रावधान लागू होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी क्रय संबंधी नियम निविदादाता पर लागू होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के वें समस्त आदेश जो इस निविदा से सम्बन्धीत है कि पालना सफल निविदादाता को करनी होगी।

26. **बोलियों का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन ओर उपान्तरण (Withdrawal, Substitution and Modification of bids):-** बोली लगाने वाला बोली प्रस्तुत करने के पश्चात् उसके या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा (प्राधिकरण पत्र संलग्न हो) सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित/लिखित नाटिस भेज कर उसकी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण कर सकेगा। बोली के तत्संबंधीप्रतिस्थापन या उपान्तरण के साथ लिखित नोटिस होना चाहिये। नोटिस –

    क) बोली दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तुत किया जाये और इसके अतिरिक्त लिफाफे पर स्पष्ट रूप से 'प्रत्याहरण', 'प्रतिस्थापन' या 'उपान्तरण' अंकित हो; और

    ख) बोलियों को प्राप्त करने के लिए नियत अंतिम समय और तारीख से पहले बोलियों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तित के द्वारा प्राप्त किया जाये या सीधे ही बोली के बक्से में डाल दिया जाये।

    1. बोलियां, जिनके प्रत्याहरण का अनुरोध किया गया है, बोली लगाने वालों को बिना खोले लौटा दी जायेगी।

    2. किसी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण बोलियों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम समय और तारीख के पश्चात् नही किया जायेगा।

27. **वित्तीय बोलियो में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार (Correction of arithmetic errors in financial bids):-** बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी:–

    क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुण करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है। ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

    ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड क और के अध्यधीन रहते हुए अंको में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

28. **राजस्थान की और बाहर की फर्मों की दरों की तुलना:–** उन फर्मों की बोलियों का सारणीकरण करते समय जो कीमत अधिमान की हकदार नहीं है, मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए, राजस्थान की फर्मों द्वारा कोट की गयी दरों से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर का तत्व अपवर्जित कर दिया जायेगा और राजस्थान से बाहर की फर्मों की दरों में केन्द्रीय विक्रय कर का तत्व सम्मिलित किया जायेगा।

29. **किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार:–** उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपागत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्दकरने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

30. **परिमाण में परिवर्तन का अधिकार (Right to vary quantity):-**

1) संविदा के अधिनिर्णय के समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।

2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी –

क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत; और

ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।

31. **Fall clause:-** यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्मो या सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मो और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

32. **अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन (Dividing Quantities among more than onebidder at the time of award):-** सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगााने वाले से उपाप्त के जायेगे जिसकी बोली स्वीकार की गई है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी है या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी कम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यपूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

I. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security):-** सफल बोली लगाने वालों से कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी :–

1) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक;
2) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी जो जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।
3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति, वारंटी बाध्याताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्याताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

II. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Performance Security):-** प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहरण किया जा सकेगा।

1) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
2) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय/सेवा सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
3) कार्य सम्पादन प्रतिभूतिकों समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस किया जायेगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

III. **करार का निष्पादन (Execution of agreement):-**

1) सफल बोली लगाने वाले, को निविदा स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम सात दिवस में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक है।
2) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालाअवधि मे लिखित उपापन सविदा पर हस्ताक्षर करने मे विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो, बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को, स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।
3) **बोली लगाने वाले को, उसके खर्चे पर रू. 500/— मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करना होगा।**
4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपड़त (Counter foil) निःशुल्क दी जाएगी।

IV. **सत्य निष्ठा संहिता (Code of Integrity):-** उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई व्यक्ति,

1) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;
2) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;
3) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण से लिप्त नहीं होगा।
4) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।
5) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;
6) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;

7) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;

8) पिछले तीन वर्षो के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा;

V. **हित का विरोध (Conflict of interest):-**

1) किसी उपापन संस्था या उंसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

2) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रकिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है, यदिः–

क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है;

ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है;

घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;

ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है; या

च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्ही व्यक्यियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्द्रेशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

VI. **बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंगः–** अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप–धारा (3) और धारा 46 के उपबंधों के अनुसार सुमचित कार्रवाई कर सकेगी।

VII. **अपील का प्रारूपः–**

1) धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप में उतरी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

VIII. **अपील फाइल करने के लिए फीसः–**

1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रूपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रूपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

IX. **अपील के निपटारे की प्रकियाः–**

1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्रधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी।
   क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और
   ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवंलोकन या निरीक्षण करेगा।
3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात् संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
4) उप नियम(3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।
5) विवाद की स्थिति में प्रथम अपील अधिकारी अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर एवं द्वितीय अपील अधिकारी सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर होगे।

33. निविदा संबंधी कार्यवाही में एक व्यवहारिक समस्या आ रही हैं कि निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत दरों में सर्विस चार्ज एवं उपकरणों का किराया शुन्य अथवा अत्याधिक कम अंकित किया जाता हैं ताकि प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ उठाया जा सकें । इस दशा में अन्य निविदादाताओं द्वारा आपत्ति की जा रही हैं । संस्था के स्तर पर गठित क्रय समिति के निर्णयानुसार :-

(अ) सर्विस चार्ज – न्यूनतम श्रम राशि के 0.25 प्रतिशत के बराबर

उपरोक्त से कम दरें प्रस्तुत किये जाने पर निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी एवं ये समझा जायेगा कि उपरोक्त राशि निविदादाता द्वारा व्यय की जा रही राशि के लिये पर्याप्त प्रतिफल हैं एवं इस पर की गयी किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा ।

34. एक से अधिक निविदादाताओं द्वारा समान दरें प्रस्तुत करने एवं उनके न्यूनतम होने की दशा में उपापन समिति द्वारा निर्णय लिये जाने के लिये अनुभव को आधार बनाया जायेगा इसके लिये किसी भी राजकीय संस्था में दो वर्ष या अधिक किये गये किसी भी ठेका कार्य को समान समझा जायेगा । ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि निविदादाता राजकीय कार्यकलापों की जानकारी रखता हैं एवं यदि इस दशा में भी समान योग्यता धारक निविदादाता होते है तो स्थानीय निविदादाता को प्राथमिकता दी जायेगी ।

35. सफल निविदादाता द्वारा किसी भी सारभूत तथ्य को छिपाकर निविदा प्राप्त की जाती हैं एवं बाद में इन तथ्यों की जानकारी होने पर निविदादाता की प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी एवं ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

36.निविदा स्वीकृत करने पर वार्षिक निविदा राशि का 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि (31150/-) डी.डी. जमा करानी होगी तथा रूपये 500/- के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा। जिस पर होने वाला व्यय निविदादाता वहन करेगा।

37. **निविदा कयाआदेश की तिथी से दिनांक 31.03.2025** तक की अवधि के लिये होगा एवं सेवायें सन्तोषप्रद पाये जाने पर निविदा अवधी आगामी छः-छ माह तक बढाई जा सकती है।

38. भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर किया जायेगा तथा वसूलिया यदि कोई होतो उन्हें प्रभावित किया जावेगा।

39. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निविदादाता के द्वारा समस्त कार्मिकों का बॉयोडाटा मय पूर्ण पता तथा पहचान के तथा उनके योग्यता प्रमाण पत्रो की सत्यापित प्रतियॅा कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।

40.समस्त कार्मिक सम्बन्धित विभाग के द्वारा निर्धारित स्थान व समय पर कार्य करेंगे। प्रत्येक कार्मिक को कम से कम आठ घन्टे कार्य करना होगा एंव कार्य कि अधिकता होने पर कार्मिक से अतिरिक्त कार्य लिया जा सकता है जिसका पृथक से कोई भुगतान नही किया जायेगा।यदि कोई कार्मिक आठ घन्टे के दौरान अनुपस्थित पाया जाता है तो पर्याप्त कारण नही होने पर उसका पूरे दिन का पारिश्रमिक काट लिया जायेगा। उपस्थिति सम्बन्धी नियमानुसार की जायेगी।

41. कार्मिक की संख्या में कमी या वृद्वि करने का अधिकार सम्बन्धित विभाग का होगा। वृद्वि करने पर अनुपातिक रूप से बढी हुयी सुरक्षा राशि जमा करानी होगी।

42. निविदादाता को अपने कार्मिक को समय–समय पर लागू अधिनियम के अनुरूप देय न्यूनतम मजदूरी की दर से भुगतान करना आवश्यक होगा। एंव नियमानुसार संविदा कार्मिक की ईएसआई/ईपीएफ का भुगतान करना आवश्यक होगा। इसके प्रमाण के रूप में इस कार्यालय के द्वारा प्रथम बिल के भुगतान के बाद प्रत्येक आगामी बिल के साथ गत माह में कार्मिक को किये गये भुगतान की रसीद प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

43. समस्त कार्मिक व्यवहार कुशल, मृदुभाषी , होने चाहिये तथा ड्यूटी पर प्रत्येक आपॅरेटर (कार्मिक) द्वारा **फोरमल पेन्ट व शर्ट पहनना अति आवश्यक होगा**। इसके लिए पृथक से भुगतान नहीं किया जायेगा। कार्मिक के कार्य एवं व्यवहार के बाबत् यदि कोई शिकायत प्राप्त होती हैं तो कार्यालय के निर्देश पर उसके स्थान पर तत्काल दूसरे कार्मिक की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी ।

अध्यक्ष
उपापन समिति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सवाई माधोपुर

उपरोक्त समस्त विवरण व शर्ते हमारे द्वारा ध्यानपूर्वक पढ ली गयी है तथा समझ ली गयी है। एवं समस्त शर्ते हमारे द्वारा मान्य की जायेगी।

संवेदक के हस्ताक्षर
नाम व पूर्ण पता

TECHNICAL UNDERTAKING

I/We have clearly understood all the terms and conditions of the bid and agreement etc. and agree to ……………………………………………..……………….. work at the rate quoted by me/us at the destinations specified by department.

I/We will ensure that I/We strictly abide by the terms and conditions of (concerned head of the office) from time to time.

I am/We are enclosing following documents as per the terms and conditions of the Bid:

1. DD/BC.BG bearing No. ………………………….. Dt. ………………. For Rs. …………….…./-(…………………………………) Drawn on ……………………... on bank towards Bid security.
2. Affidavit attested by a notary to that effect that the bidder has no past or present criminal record with the Police/Vigilance of CS Deptt./Vigilance and enforcement deptt., Govt. of Rajasthan or Govt. of any other state/Govt. of India.
3. Affidavit stating that the bidder or any of the partners or representatives were never blacklisted the Central Government/any State Government/any Union Territory/State Agency at time or convicted by Court of Law in a criminal case.
4. Copy of the partnership deed along with permanent and present address of the partners in case of a firm.
5. Copy of the Registration certificate, if it is firm/limited company/NGO/Others.
6. Copy of the Registration certificate PAN/Service tax upto date.

I/We hereby affirm that the department is at liberty to take action against me/us as per the terms and conditions of Bid document, if the above said statement proves to be wrong at any point of time.

Date: Signature of Bidder

Place: Name:

Address:

Annexure-A

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

In relation to my/our Bid submitted to .... for .... work in response to their notice inviting Bids no. .... Dated .... I/We hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, Technical, Financial and Managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the procuring entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the Taxes payable to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/Our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition.

Date:

Place:

Signature of Bidder

Name:

Designation:

Address:

Annexure-B

STATEMENT OF PAST SUPPLIES AND PERFORMANCE

We ……………………………………………….. (Name of Firm) do hereby undertake that we have performed ……………………………: Work as per details given below:-

Calendar Year	Order placed by (full address of purchaser with telephone fax no.)	Order no. & date	Date of completion of delivery		Remakes indicating reasons for late delivery, if any	Has the work catered satisfactory ?
			As per contract	Actual		
1	2	3	4	5	6	7

Note:-

1. It should be submitted with technical Bid.
2. The above information may be verified from relevant documents of Bidder.

Date:

Place:

Signature of Bidder

Name:

Designation:

Address:

Annexure-C

Affidavit regarding compliance to Term & Conditions of Tender

Bidder Name ....

I/We confirm that I/We are authorized to submit tender on behalf of the firm participating in the tender and have perused the entire Bid/Tender document including all its amendments till date.

Having perused the subject tender with all amendments (wherever applicable). I/We hereby confirm unconditional acceptance and compliance to abide by all its terms & conditions as mentioned in Bid/Tender document including technical particulars, Detailed technical specifications of the product, special Terms & Conditions and general Terms & conditions wherever indicated, offer validity, Term of delivery without any deviations whatsoever.

I/We also confirm acceptance of the all General Terms & Conditions of Tender document.

I/We certify that the prices quoted against the tender are competitive and without adopting any unfair/unethical means in including cartelization.

I/We certified that tendering firm has not been banned by any government department of State/PSU from business dealings.

I/We also certified that the information given above is factually correct, true and nothing material has been concealed.

Name of Bidder with Signature and Seal

<u>FINANCIAL UNDERTAKING</u>

I/We have clearly understand all the terms and conditions of the Bid and agreement etc. and agree to undertake the tender document at the rate quoted by me/us at the destinations specified by department.

I/We will assure that I/We will strictly abide by the terms and conditions of the Bid, agreement and the orders of concerned head of office from time to time.

I/We will furnish the prescribed performance security amount of the 5% on the total value of the cost of the quality for supply, within seven (7) days of the acceptance of my/our Bid and enter into agreement. I/We are well aware of the forfeiture clause in the terms and conditions of the Bid and my/our Bid security stand forfeited if I/We fall to furnish the prescribed performance security and also enter into agreement within seven (7) days of acceptance of my/our Bid and I/We will strictly abide by the terms and conditions etc. as per the agreement. In the event of non-fulfillment of contract by me/us, my/our security deposit or any amount available with the department is liable to be forfeited, award of supply contract stand cancelled besides blacklisting me/us.

SIGNATURE OF THE BIDDER
NAME:
ADDRESS:

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर

Technical Bid Check List

S.No.	Technical Bid Requirement No (Please attached copy of the Following documents	Enclosed (Yes/No)
1.	Attested copy of PAN & Service Tax	
2.	Attested copy of registration certificate issued by competent Authority/Registrar	
3.	Required certificates/Licence/Documents should be copledted and updated. Such as labour license, P.F.reg E.S.I.C. Reg.	
4.	Technical Undertaking	
5.	Annexure-A (Declaration by bidder regarding qualifications)	
6.	Annexure –B (Statement of past Supplies & performance)	
7.	Annexure –C (Affidavit regarding acceptance of Bid terms & conditions)	
8.	Financial Undertaking	
9.	Registration Certificate of business estabilishment/ business firm, at least in their own name/firms name	
10.	Details of the Bidder Firm	
11.	Bid Secuirty Detail	
12.	GST No 9Copy attaché)	
13.	Bidder must be attached income tax return of last two years	

अध्यक्ष
उपापन समिति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सवाई माधोपुर

कार्यालय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर

तकनीकी निविदा

क्र.सं.	वांछित विवरण	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत विवरण
01.	निविदा क्रमांक एवं दिनांक	/23.08.2024
02.	विक्रय की अंतिम तिथि	03.09.2024, दोपहर 1.00 बजे तक
03.	निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि	03.09.2024, सायं 4.30 बजे तक
04.	निविदा खोलने की दिनांक	04.09.2024, प्रातः10.00 बजे
05.	निविदा प्रपत्र का मूल्य विवरण	200/-दो सौ रूपये अप्रतिदाय
06.	निविदा जिसे संबोधित की जानी हैं	**कार्यालय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर**
07.	संवेदक/बोलीदाता का स्वामी/निदेशक का नाम	
08.	संवेदक/बोलीदाता का स्वामी/निदेशक का पता	
09.	संवेदक/बोलीदाता का नाम	
10.	फर्म की बैक खाता संख्या एवं बैंक का विवरण	
11.	संवेदक/बोलीदाता का पत्र व्यवहार एवं स्थायी पता एवं मोबाइल नम्बर दूरभाष	
12.	संवेदक/बोलीदाता का ई-मेल आईडी	
13.	ऐजेंसी एवं सेवा प्रदाता फर्म का रजिस्ट्रेशन नम्बर	
14.	ऐजेंसी एवं सेवा प्रदाता फर्म का वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) रजिस्ट्रेशन नम्बर की सत्यापित प्रति संलग्न करें ।	
15.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के नम्बर की सत्यापित प्रति संलग्न करे ।	
16.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के नम्बर की सत्यापित प्रति संलग्न करें ।	
17.	एजेन्सी एवं सेंवा प्रदाता फर्म का श्रम क्रमांक श्रम उन्मूलन एवं विनयम एक्ट 1970 के अधीन श्रम विभाग द्वारा लाईसेंस/पंजीकरण की सत्यापित प्रति संलग्न करें फर्म के विधान की प्रतिलिपि संलग्न करें ।	
18.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्था अधिनियम 1958 लाईसेंस/पंजिकरण की सत्यापित प्रति संलग्न करें या इंडियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत लाईसेंस/पंजिकरण की सत्यापित प्रति संलग्न करें । या ठण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत लाईसेंस/पंजिकरण की सत्यापित प्रति संलग्न करें ।	
19.	स्थायी खाता संख्या (पेन नम्बर) रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के नम्बर की सत्यापित प्रति संलग्न करें ।	
20.	सरकारी/अर्द्धसरकारी/बैंक/बोर्ड/समिति/आयोग/ पंजीकृत संस्थाओं में वर्णित कार्य का अनुभव की अवधि के प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ	
21.	अमानत राशि संबंधित का नाम डीडी व बैकस चैक/ **सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर** के पक्ष में देय होगा	डी.डी. बैकस चैक न. ....दिनांक .... रसीद संख्या .... दिनांक .... राशि रू. .... बैंक का नाम व शाखा .... पर

		देय ।
22.	संवेदक/बोलीदाता का विगत दो वर्षो के आयकर रिर्टन की फोटोप्रति संलग्न करें ।	

संलग्न सभी शर्तो का मेरे/हमारे ध्यान पूर्वक अवलोकन कर लिया गया हैं। शर्तो को मै/हम स्वीकार करते हैं । अतः प्रत्येक पृष्ठ पर हमने शर्तो का पालन करने हेतु हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

हस्ताक्षर निविदादाता

पूर्ण नाम ....

डाक पता ....

....

मोबाइल नम्बर ....

फोन नम्बर ....

प्रारूप सं. 1

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

.... की अपील सं. ....

(प्रथम / द्वितीय अपील प्राधिकारी) .... के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियां:

    क) अपीलार्थी का नामः

    ख) कार्यालय का पता, यदि कोई होः

    ग) आवासिक पताः

2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियो) का नाम और पताः

    क)

    ख)

    ग)

3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गयी है और अधिकारी / प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने ओदश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंधन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है:
4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पताः
5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्याः
6. अपील का आधारः

    ....

    ....

    .... (शपथपत्र द्वारा समर्थित)

7. प्रार्थनाः ....

    ....

    ....

स्थानः ....

तारीखः ....

अपीलार्थी के हस्ताक्षर